



प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 18 मार्च, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद-सहारनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगोह, देवबंद एवं हरौड़ा में सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण इत्यादि कार्य हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर महानिदेशालय के पत्र संख्या-650/17फ/नि0नि0अ0/2025-26, दिनांक 16.01.2026 तथा शासनादेश संख्या-आई0/1201636/2026-5-6099/400/2025, दिनांक 09.01.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश दिनांक 09.01.2026 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु "विभागीय अभियन्त्रण इकाई" को कार्यदायी संस्था प्रामाण्य किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का विदित हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16.01.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त एतद्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद-सहारनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगोह, देवबंद एवं हरौड़ा में निम्नलिखित सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण इत्यादि कार्य हेतु धनराशि रुपये 234.42 लाख (दो करोड़ चौतीस लाख बयालीस हजार मात्र) पुनर्विनियोग के माध्यम से (संलग्न पत्र बा0एम0-9 के अनुसार) अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन भी राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख में)

क्र0सं0	कार्य का नाम	लागत
1	2	3
1	सामु0स्वा0केन्द्र, गंगोह के सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण कार्य/जलमल कार्य/सैनेट्री इत्यादि कार्य।	59.35
2	सामु0स्वा0केन्द्र, गंगोह के स्थल विकास कार्य/सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य/छत मरम्मत कार्य/बाउण्ड्रीवाल इत्यादि कार्य।	43.31
3	सामु0स्वा0केन्द्र, देवबंद के सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण कार्य/जलमल कार्य/सैनेट्री कार्य/बाउण्ड्रीवाल एवं स्थल विकास इत्यादि कार्य।	74.57
4	सामु0स्वा0केन्द्र, हरौड़ा के सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण कार्य/जलमल कार्य/सैनेट्री कार्य/बाउण्ड्रीवाल एवं स्थल विकास इत्यादि कार्य।	57.19
	योग	234.42

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत स्वीकृति हेतु वित्तीय नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी गई है।
4. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग वित्तीय वर्ष, 2025-26 में नहीं की जायेगी।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिये स्वीकृति दी गई है।
6. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।
7. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृति धनराशि को बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,34,42,000 (रुपये दो करोड़ चौतीस लाख ब्यासीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 032 लेख शीर्षक 4210021030700 प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढीकरण मानक मद-24 बृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2024/जी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रमाणित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक :- यथोक्त।

भवदीय,
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्र.सं./द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्र.सं./द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, सहारनपुर।
4. निदेशक (प्रशासन/सौ.एच.सी.ए./नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. अधीक्षण/अधिसूची अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, सहारनपुर।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव।

बी0एम-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A005-2025-2026-5 6099 400 2025 6

विषय:-वित्तीय वर्ष, 2025-26 में प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद-सहारनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगोह, देवबंद एवं हरौडा में सुधार-विचार एवं नवीनीकरण इत्यादि कार्यो हेतु धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से धिये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
032	4210011100600 (मण्डल मुख्यालय पर 300 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय की स्थापना)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	2,79,00,000 रुपये दो करोड़ उनासी लाख मात्र	2,79,00,000 रुपये दो करोड़ उनासी लाख मात्र	2,34,42,000 रुपये दो करोड़ चौतीस लाख बयालीस हजार मात्र	2,34,42,000 रुपये दो करोड़ चौतीस लाख बयालीस हजार मात्र	44,58,000 रुपये चौवालीस लाख अठ्ठावन हजार मात्र	2025-2026
कुल					₹ 2,34,42,000	₹ 2,34,42,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
032	4210021030700 (प्राथमिक / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढीकरण)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	3,52,45,000 रुपये तीस करोड़ बावन लाख पैंतालीस हजार मात्र	2,34,42,000 रुपये दो करोड़ चौतीस लाख बयालीस हजार मात्र	2,34,42,000 रुपये दो करोड़ चौतीस लाख बयालीस हजार मात्र	32,86,87,000 रुपये बत्तीस करोड़ छियासी लाख सतासी हजार मात्र	2025-2026
कुल				₹ 2,34,42,000	₹ 2,34,42,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना

चाहे:-

- (1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जाएगी।
- (3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी गई है।

(1) **उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-**

मण्डल मुख्यालय पर 300 शैक्या संयुक्त चिकित्सालयों की स्थापना के मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में आय-व्ययक में क्रम संख्या-1 में अंकित मद में रुपये 279.00 लाख का प्राविधान उपलब्ध है, जिसकी बचत सम्भावित है।

(2) **उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-**

शासन के पत्र दिनांक 09.01.2026 द्वारा महानिदेशालय के पत्र दिनांक 03.09.2025 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर जनपद-सहारनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगोह, देवबंद एवं हरौडा में सुधार-विस्तार एवं नवीनीकरण इत्यादि कार्य हेतु "विभागीय अभियंत्रण इकाई" को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रुपये 3000.00 लाख का आय-व्ययक में प्राविधान उपलब्ध है, जिसके सापेक्ष रुपये 2122.11 लाख की स्वीकृति जारी कर दी गयी है तथा रुपये 877.39 लाख के प्रस्ताव विचाराधीन होने के उपरान्त इस मद में धनराशि अक्षिप्त उपलब्ध नहीं है। इस मद में धनराशि रुपये 234.42 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट अनुभाग के प्रस्तर-150 व 151 में निर्विष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-303, दिनांक 11 फरवरी, 2026

आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव

सेना में,
महालेखाकार लेखा एवं हकदारी
प्रथम उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

कपिल देव भारती
अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित कार्यसमर्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. संबंधित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियन्त्रण), अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त लेखा अनुभाग।
6. वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)।

आज्ञा से
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव